कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति जीव विज्ञान/पीएससी /2015/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी मनोज कुमार मीणा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 11090/2022 सुखा राम पालवा व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11090/2022 सुखा राम पालवा बनाम सरकार व अन्य को एस.बी.सिविल. संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 एवं एस.बी.सिविल. संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.10.17 से कवर्ड किया है। याचिका संख्या 7283/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2014 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "If the respondent no. 02 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniorty but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी मनोज कुमार मीणा व्याख्याता जीव विज्ञान द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकाथी	जन्म दिनांक	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1-	MANOJ KUMAR MEENA	07-10-1987	R-239	16-09-2019	25-09-2019

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.09 22:43:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4603155

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 11090/2022 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 05.08.2022 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी।

याचिकार्थी मनोज कुमार मीणा व्याख्याता जीव विज्ञान के पद पर रिशफल परिणाम में चयनित न होकर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2015 के तहत् नॉन–ज्वाईनर्स रहे अभ्यर्थियों के रिक्त पदों के विरूद्ध जारी की गई आरक्षित सूची में से पिक अप किए गए अभ्यर्थी (मेरिट क्रमांक आर–239) के रूप में हुए है। जिस कारण याचिकार्थी को नोशनल परिलाभ दिये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः वे नोशनल परिलाभ के हकदार नहीं होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/या.स. 11090/मनोज कुमार मीणा/22 दिनांकः– 09/09/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–विधि, जोधपुर।
8. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि .....।

9. संबंधित कार्मिक .....।

10. विधि अनुभाग कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.09 23:43:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4603155

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा—2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी—4/नियुक्ति जीव विज्ञान/पीएससी/2015/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी सोनू गुर्जर व अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 3018/2021 सोनू गुर्जर व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3018/2021 सोनू गुर्जर व अन्य बनाम सरकार व अन्य को एस.बी.सिविल. संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 एवं एस.बी.सिविल. संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.10.17 से कवर्ड किया है। याचिका संख्या 7283/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2014 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "If the respondent no. 02 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniorty but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकाथी	जन्म दिनांक	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1-	SONU GURJAR	04-01-1990	0	02-07-2017	10-07-2017
2-	KAPIL GURJAR	26-05-1982	0	28-08-2018	01-09-2018

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.09 22:45:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4603235

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 3018/2021 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 25.02.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। याचिकार्थियों के विषय जीव विज्ञान में संबंधित प्राध्यापक भर्ती में भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा उक्त याचिकार्थियों का वरीयता क्रमांक शून्य (0 मेरिट) माना गया है एवं इन्हें नवीन मेरिट आवंटित नहीं की गई है जिस कारण याचिकार्थियों से कनिष्ठ वरीयता क्रमांक का अभ्यर्थी संबंधित चयन विषय में उपलब्ध नहीं होने के कारण याचिकार्थी को नोशनल परिलाभ पर विचार किया जाना संभव नहीं है अतः वे नोशनल परिलाभ के हकदार नहीं होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/या.स. 3018/सोनू गुर्जर व अन्य/21 दिनांकः– 09/09/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–विधि, जोधपुर।
8. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि .....।
9. संबंधित कार्मिक .....।
10. विधि अनुभाग कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.09 22:45:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4603235

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति जीव विज्ञान/पीएससी /2015/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी इन्द्रा चौधरी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 6328/2020 इन्द्रा चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6328/2020 इन्द्रा चौधरी बनाम सरकार व अन्य को एस.बी.सिविल. संख्या 3707/2019 प्रहलाद सहाय जाट व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2019 से कवर्ड कर निस्तारित किया है। याचिका संख्या 6328/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.08.2020 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "So far as the prayer pertaining to grant of notional benefits etc. is concerned, a response has been filed by the respondents indicating that on completion of the probation period of the petitioners, they would be entitiled to all the consequences of placing them as per the revised merit list. In view of the submissions made on behalf of the respondents, the relief as claimed by the petitioner stand admitted by the respondents."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थियां इन्द्रा चौधरी व्याख्याता जीव विज्ञान द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्म दिनांक	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1-	INDRA CHOUDHARY	01-12-1986	358	25-07-2018	27-07-2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक जीव विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा कार्मिक सुनीता कुमारी मेरिट क्रमांक–593 को नियुक्ति प्रदान की गई। कार्मिक सुनीता कुमारी द्वारा लक्ष्मीनारायण तापड़िया राउमावि सांडवा, बीदासर, चूरू में दिनांक 29.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 6328/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 24.08.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.09 22:42:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4602976

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी।

उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुनीता कुमारी मेरिट क्रमांक–593 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता कुमारी मेरिट क्रमांक 593 द्वारा दिनांक 29.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सुनीता कुमारी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुनीता कुमारी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थीगण भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/या.स.6328/इन्द्रा चौधरी/20 दिनांकः– 09/09/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–विधि, जोधपुर।
8. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि .....।

निज संबंधित कार्मिक .....।

रि10. विधि अनुभाग कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Rajshan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.09 22:42:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4602976